प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 27 अप्रैल, 2016**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-308935 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-01/बजट-आायोजनेत्तर/2016-17, दिनांक: 04.04.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत अयोजनेत्तर पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत संचालित चालू योजनाओं में कुल प्राविधानित धनराशि भारित सहित रू0-308935 हजार (रूपये तीस करोड़ नवासी लाख पैतीस हजार मात्र) को निम्नानुसार अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुदान संख्या-10 **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्र0 सं0	**लेखाशीर्षक /योजना का नाम**	**कोड सं0 /मद का नाम**		**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**		**4**	**5**
1	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 04-फल- 0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	01.	वेतन	112599	112599
		02.	मजदूरी	618	618
		03.	महँगाई भत्ता	153135	153135
		04.	यात्रा व्यय	750	750
		05.	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	315	315
		06.	अन्य भत्ते	13000	13000
		08.	कार्यालय व्यय	545	545
		09.	विद्युत देय	1300	1300
		10.	जलकर/जल प्रभार	220	220
		11.	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	210	210

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

		12.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	105	105
		13.	टेलीफोन पर व्यय	100	100
		16.	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	58	58
		17.	किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	2300	2300
		18.	प्रकाशन	95	95
		29.	अनुरक्षण	500	500
		42.	अन्य व्यय -मतदेय	315	315
			भारित	25	25
		43.	सामग्री और सम्पूर्ति	1850	1850
		44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	400	400
		45.	अवकाश यात्रा व्यय	140	140
		47.	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75	75
		49.	चिकित्सा व्यय	1650	1650
			योग -0409 मददेय	**290280**	**290280**
			भारित	**25**	**25**
2	0412-फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	42.	अन्य व्यय	100	100
			योग -0412	**100**	**100**
3	0413-ई-गवर्नेस तथा डाटा बेस का सुदृढ़ीकरण	46.	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	800	800
			योग -0413	**800**	**800**
			योग-2401-04 मतदेय	**291180**	**291180**
			भारित	**25**	**25**
4	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य- 004-अनुसंधान- 07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	01.	वेतन	6447	6447
		02.	मजदूरी	55	55
		03.	महँगाई भत्ता	8768	8768
		04.	यात्रा व्यय	120	120
		06.	अन्य भत्ते	605	605
		08.	कार्यालय व्यय	75	75
		09.	विद्युत देय	100	100
		10.	जलकर/जल प्रभार	10	10
		11.	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	35	35
		12.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50	50
		13.	टेलीफोन पर व्यय	30	30
		15.	गाड़ियों का अनुरक्षण	50	50

http://shasanadesh.up.nic.in

		16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	100	100
		29.	अनुरक्षण	70	70
		42.	अन्य व्यय	100	100
		43.	सामग्री और सम्पूर्ति	40	40
		44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25	25
		46.	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500	500
		47.	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	100	100
		49.	चिकित्सा व्यय	400	400
			योग-2415-07	**17680**	**17680**
5	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनेत्तर- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल 0401-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना				
		26	मशीन् और सज्जा/उपकरण और संयत्र	50	50
			योग-4401-04	**50**	**50**
			बृहद् योग-मतदेय	**308910**	**308910**
			भारित	**25**	**25**
			बृहद् योग-(मतदेय एवं भारित)	**308935**	**308935**

(रूपये तीस करोड़ नवासी लाख पैतीस हजार मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।
2. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5. मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22/03/2016 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।
7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22/03/2016 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-42/2016/428(1)/58-2-2016, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in